बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

श्री सम्राट चौधरी
माननीय उप मुख्यमंत्री
बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा
माननीय उप मुख्यमंत्री
बिहार

श्री संजय सिंह (टाइगर)
माननीय मंत्री
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

"युवाओं को हुनर एवं रोजगार,

कौशल से गढ़ें हम समृद्ध बिहार"

वार्षिक प्रतिवेदन : 2025-26
वार्षिक कार्यक्रम : 2026-27

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में महिला आई०टी०आई० एवं सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में महिला आई०टी०आई० एवं सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

सारण जिले में नव-निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) का निरीक्षण करते माननीय मंत्री एवं सचिव

टाटा टेक के सहयोग से राजकीय आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 101वें स्कॉच अवॉर्ड समारोह में मिला गोल्ड अवॉर्ड

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) मढौरा, सारण का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

सारण जिले में नव-निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), डालमियानगर का निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), डालमियानगर का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

सारण जिले में नव-निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

बिहार सरकार

श्री संजय सिंह (टाइगर)

मंत्री,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

संदेश

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

विभाग युवाओं के कल्याणार्थ कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। विशेषकर कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-पार्ट 3 (2025-30) के अंतर्गत 5 सालों में एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इन योजनाओं में 'कुशल युवा प्रोग्राम' (KYP) एवं 'नियोजन मार्गदर्शन कार्यक्रम' प्रमुख हैं।

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (Center of Excellence) के अंतर्गत विकसित करने की दिशा में, प्रथम चरण के 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा शेष 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर मार्च 2026 तक प्रशिक्षण प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

साथ ही, राज्य में कार्यरत राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय युवा वाहिनी और नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से प्रदेश के सभी पंचायतों एवं प्रखण्ड स्तर पर युवाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाकर, उन्हें जोड़ने के साथ-साथ योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को संबद्ध कर लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उक्त क्रियाकलापों के साथ राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से युवा प्रतिभा की पहचान कर उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित कराया जा रहा है। युवा कल्याण से संबंधित वैसे सभी कार्य विभाग के द्वारा सजगता से किये जायेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं की आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास को गति दी जा सके। तदुपरांत, वे प्रदेश के विकास में सहचर की भूमिका निभा सकें।

मुझे आशा है कि वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम, विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों से अवगत कराने में सहायक सिद्ध होंगे।

शुभकामनाओं सहित।

संजय सिंह (टाइगर)

मंत्री

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय – वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	संदेश	1
2.	विभाग द्वारा संचालित योजनायें	3
3.	प्रशिक्षण पक्ष के क्रियाकलाप	4-5
4.	राज्य कार्य योजना	6-7
5.	केन्द्र प्रायोजित योजना	8
6.	वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ	9
7.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भावी कार्यक्रम	10
8.	निदेशालय नियोजन पक्ष के क्रियाकलाप	11-13
9.	बिहार कौशल विकास मिशन प्रगति एवं उपलब्धियाँ	14-18
10.	एक करोड़ रोजगार	18

विभाग द्वारा संचालित योजनायें :-

1. नियोजन सेवा का विस्तार :

- मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षित कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके ट्रेड के अनुरूप स्व-रोजगार हेतु टूल किट उपलब्ध कराना।

2. नियोजन सेवा हेतु ई० प्रोसेस :

- राज्य के नियोजनालयों मे पूर्व से अधिष्ठापित आधुनिक संचार तंत्र का प्रबंधन।

3. नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यकम:

- नियोजनालयों के सी. आई. सी में अध्ययन सामग्री की खरीद, जॉब कैम्प का आयोजन तथा कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्टडी किट उपलब्ध कराया जाना।

4. सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो :

- सीमापार श्रमिक व अन्य मानवबल के नियोजन हेतु ब्यूरो कार्यालय का संचालन।

5. निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता :

- निःशक्तजनों के जागरूकता हेतु सेमिनार एवं विशेष नियोजन मेला के आयोजन।

6. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना :

- पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन तथा सात निश्चय के तहत् स्थापित संस्थानों में प्रशिक्षण कराना।

7. प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण :

- कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नियत अंतराल पर प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण।

8. नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना :

- पूर्व से स्थापित 38 महिला औ० प्र० संस्थानों में प्रशिक्षण एवं समुचित प्रबंधन।

9. मशीनों का आधुनिकीकरण :

- राज्य के कुल 102 औ० प्र० संस्थानों को उन्नत कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना एवं आवश्यकतानुसार मशीन, टूल्स एवं उपस्कर का क्रय।

10. बिहार कौशल विकास मिशन :

- सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राज्य में कौशल विकास हेतु नोडल एजेंसी के रूप में क्रियान्वयन एवं प्रदेश के युवाओं हेतु सभी प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम का संचालन।

11. 1 (एक) करोड़ रोजगार :

- वर्ष 2025-30 में प्रदेश के 1 (एक) करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन।

प्रशिक्षण पक्ष के क्रियाकलाप :-

1. प्रशिक्षण पक्ष के क्रियाकलाप :-

बिहार अपने मानव शक्ति को वर्तमान बाजार माँग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृत संकल्पित है। कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित अनुमंडलो में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा अनाच्छादित जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है एवं राज्य में **जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय** की स्थापना की गई है।

i. वर्तमान में राज्य में संचालित कुल 152 संस्थानों में से 138 संस्थानों का अपना भवन है एवं 08 संस्थानों का भवन निर्माणाधीन है, जबकि अन्य 06 संस्थानों के भवन निर्माण से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ii. राज्य के 152 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT से संबद्ध हैं एवं 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान SCVT से संबद्धता प्राप्त हैं, जिनमें 33,088 युवाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

iii. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रतिशत में वृद्धि हेतु एस० एम० क्यू० (SMQ) कोटा की रिक्त बची सीटों पर क्षैतिज आरक्षण के तहत नामांकन की कार्रवाई हेतु आवश्यक पहल की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, जिलान्तर्गत प्रत्येक आई०टी० आई० की कुल स्वीकृत सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों को जिला की बाध्यता (बंधेज) से मुक्त किया गया है।

iv. राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-25 से थर्ड जेंडर (किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर) के अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT) के लिए महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के साथ-साथ थर्ड जेंडर अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय है।

v. बिहार राज्य में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) के प्रशिक्षणार्थियों को पोशाक (ड्रेस) एवं जूते के लिए प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंभ में एकमुश्त प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹3000/- (तीन हजार) मात्र, आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अभिश्रव जमा कराने के उपरांत दिये जाने का प्रावधान है।

vi. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT) की मेधा सूची के आधार पर प्रथम दस प्रशिक्षणार्थियों एवं सभी महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रति माह ₹150 की दर से मेधा छात्रवृत्ति दी जाती है।

vii. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को विज्ञान संकाय में 12वीं की समकक्षता प्रदान की गयी है।

viii. राज्य के संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से Industry 4.0 हेतु आधुनिकीकृत (Modernize) करने एवं 'Center of Excellence' बनाये जाने के निमित्त प्रथम चरण के सभी 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्कशॉप का निर्माण कर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर अब तक कुल 7,865 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 5,570 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। 'Centre of Excellence' के अन्तर्गत द्वितीय चरण में शेष 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित कर मार्च 2026 तक प्रशिक्षण प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

ix. अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जुलाई-2025 में कुल 1,96,800 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें 1,52,331 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए (उत्तीर्णता प्रतिशत 77.40%)।

x. भारत सरकार द्वारा सौर छत क्षमता (Solar Rooftop Capacity) को अपनाने एवं आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक 29 फरवरी 2024 को 'पी० एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की मंजूरी दी गयी है। इस योजना का लक्ष्य कुशल कार्यबल स्थापित करना है, जो व्यापक सौर प्रौद्योगिकी के उपयोग को स्थापित करने, बनाए रखने और समर्थन करने में सक्षम हो। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष में 1,00,000 Solar PV Technician एवं 500 Trainer का एक समूह बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 86 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। 9,021 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 7,769 प्रशिक्षणार्थियों को ओ० जे० टी० (OJT) कराया गया है।

xi. PM Package for Employment & Skilling: इस योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'हब' (Hub) तथा 800 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 'स्पोक' (Spoke) के रूप में उद्योगों के सहयोग से विकसित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत पूर्व से चल रहे पाठ्यक्रम को री-डिजाइन (Re-design) एवं नये व्यवसायों को प्रारंभ करने के साथ-साथ 'Short Term Specialized Course' को Hub ITI में प्रारंभ किया जायेगा।

राज्य कार्य योजना

1. औ० प्र० संस्थानों के भवनों का निर्माण :

इस योजनान्तर्गत पुराने भवनों के जीर्णोद्धार एवं भवन रहित संस्थानों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि ₹20,737.49 लाख उपबंधित है, जिसमें से ₹4,884.00 लाख व्यय हो चुकी है।

2. स्थापित महिला औ० प्र० संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना :

योजनान्तर्गत पूर्व से स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 07 स्वीकृत व्यवसायों के अन्तर्गत 35 यूनिट सृजित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के अन्तर्गत कुल ₹324.00 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹126.17 लाख व्यय हो चुकी है।

3. नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना :

इस योजना के अन्तर्गत 31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹4,880.00 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹3,204.97 लाख व्यय हो चुकी है।

4. पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना :

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजनान्तर्गत कुल 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्वीकृत व्यवसायों में 175 यूनिट सृजित हैं। प्रशिक्षण हेतु ₹671.00 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹299.71 लाख व्यय हो चुकी है।

5. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना :

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 'सात निश्चय' के तहत स्थापित किये गये संस्थानों अर्थात कुल 93 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹18,000.00 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹12,587.78 लाख व्यय हो चुकी है।

6. मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (Management Information System) :

प्रशिक्षणार्थियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिये कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3,754.40 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹3,702.20 लाख व्यय हो चुकी है।

7. प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण :

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में ₹100.00 लाख उपबंधित हैं, जिसमें से ₹47.96 लाख व्यय हो चुके हैं।

8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन :

इस योजना के तहत वैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, के लिए सतत् लीज पर भूमि लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹74.41 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹74.37 लाख व्यय हो चुकी है।

9. मशीनों का आधुनिकीकरण :

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के 152 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के मद्देनजर नई मशीनों का क्रय एवं पुरानी मशीनों/उपकरणों का आधुनिकीकरण हेतु ₹45,846.30 लाख की राशि उपबंधित है, जिसमें से ₹31,065.05 लाख व्यय हो चुकी है।

विभागीय योजना शीर्षों में कुल व्यय लक्ष्य :-

योजना का नाम	संभावित व्यय की राशि लाख में
1. औ0 प्र0 संस्थान के भवनों का निर्माण-	20,737.49
2. स्थापित महिला औ0 प्र0 संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना-	324.00
3. नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-	4,880.00
4. पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना-	671.00
5. प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण-	100.00
6. मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम-	3,754.40
7. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना-	18,000.00
8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए-	74.41
9. मशीनों का आधुनिकीकरण-	45,846.30
	94,387.60

केन्द्र प्रायोजित योजना

नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोमोशन स्कीम (NAPS) :

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें युवाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 'On-the-Job Training' (OJT) कराया जाता है। राज्य में 29 से अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों (निजी / PSU / PSE / सरकारी) में कुल स्थापना का 2.5 से 15 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को रखे जाने का प्रावधान है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत संचालित 'राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (National Apprenticeship Promotion Scheme - NAPS-2) में प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित मासिक वृत्तिका (Stipend) का 75 प्रतिशत संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा एवं 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा ₹7,200 एवं भारत सरकार द्वारा ₹2,400, अर्थात कुल ₹9,600/- का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाता है।

राज्य के युवक/युवतियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध सरकार के बढ़ते कदमों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के पटना जिला में 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा' की स्थापना की गयी है, जिससे शिक्षित छात्र/छात्राएं आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

इन संस्थानों के सफल संचालन हेतु 86 (छियासी) पदों को सृजित किया गया है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष लगभग ₹468.61 लाख (चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार) की राशि का व्यय होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियाँ

- राज्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित 112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2026-27 से गैर-योजना में स्थानांतरित किया गया है।
- विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों के रख-रखाव, संरक्षण एवं संग्रहण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा घाट, पटना में अभिलेखागार (G+3) भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
- राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला) के स्थाई भवन के निर्माण हेतु 4 एकड़ भूमि प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार को बियाडा, बिहटा में उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2024-25 में पटना जिला अन्तर्गत राज्य योजना से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा की स्थापना की गई है।
- पूर्व से स्थापित 05 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 07 अनुदेशकों के नये पद सृजित किये गये हैं।
- राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में MSTC (Metal Scrap Trade Corporation Ltd.) के माध्यम से नाकामयाब मशीन, टूल्स, उपकरण आदि को स्क्रैप कर नीलामी की गई है। जिससे राज्य सरकार को कुल ₹2,16,35,683 राशि की प्राप्ति हुई है।
- सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन (Sanitary Vending Machine) स्थापित की गई है।
- दो वर्षीय आई० टी० आई० पाठ्यक्रमों को 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' से आच्छादित किया गया है। जिसके तहत बुक्स, स्टेशनरी, हॉस्टल, लैपटॉप एवं प्रशिक्षण शुल्क हेतु अधिकतम ₹2,00,000/- (दो लाख) का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- डी०जी०टी०, भारत सरकार द्वारा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग (0 से 10 अंकों में) की गई है, जिसमें राज्य के कुल 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 8 से ज्यादा ग्रेडिंग प्राप्त हुई है।
- औ० प्र० संस्थानों में 'बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी' (BREDA) के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा 98 औ० प्र० संस्थानों में सोलर पैनल का अधिष्ठापन किया गया है, जिसमें 18 संस्थानों के विभिन्न भवनों में विद्युत व्यय को 'नेट जीरो' (0) किया गया है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कुल 7,333 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न प्रतिष्ठानों (यथा- SAMSUNG, MARUTI SUZUKI INDIA LTD., ROYAL ENFIELD, ALSTROM, JAGUAR, L&T, IOCL, FRONIUS, NTPC आदि) से संस्थानों द्वारा इकरारनामा (MoU) किया गया है।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों जैसे- योग, खेल-कूद, संवाद, औद्योगिक इकाईयों का भ्रमण आदि का आयोजन किया जाता है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा 'विश्व युवा कौशल दिवस' के अवसर पर जॉब मॉडल तैयार किया जाता है। निदेशालय द्वारा उत्कृष्ट जॉब मॉडल की प्रदर्शनी लगाई जाती है।
- राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में प्रशिक्षणरत एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'केन्द्रीयकृत प्लेसमेंट सेल' का गठन किया गया है।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवनियुक्त 60 अनुदेशकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, लखनऊ में दिनांक 18.12.2025 से 27.12.2025 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत "कौशल दीक्षांत समारोह" के अवसर पर प्रमाण-पत्र वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भावी कार्यक्रम :-

PM-SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITI (PM-SETU)

- इस योजना का उद्देश्य, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय औ० प्र० संस्थानों का उन्नयन एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 200 औ० प्र० संस्थानों को 'हब' (Hub) तथा 800 औ० प्र० संस्थानों को 'स्पोक' (Spoke) के रूप में उद्योगों के सहयोग से विकसित करना है।
- इसके अन्तर्गत पूर्व से चल रहे पाठ्यक्रम को री-डिजाइन (Re-design) एवं नये व्यवसायों को प्रारंभ करने के साथ-साथ 'शॉर्ट टर्म स्पेशलाइज्ड कोर्स' (Short Term Specialized Course) को 'हब आईटीआई' (Hub ITI) में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- इस संबंध में Schneider Electric Ltd. एवं Maruti Suzuki India Ltd. से वार्ता की जा रही है।
- राज्य के औ० प्र० संस्थानों में विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों (जापानी, फ्रेंच, स्पैनिश एवं जर्मन) में प्रशिक्षण प्रारंभ कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवनियुक्त अनुदेशकों के कौशल उन्नयन हेतु प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, लखनऊ तथा केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता से प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।
- टाटा टेक (Tata Tech - COE) के अन्तर्गत सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दीर्घकालिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के निमित्त नये व्यवसाय एवं पद सृजन कराया जाना प्रस्तावित है।
- व्यवसाय अनुदेशकों के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियर करने के उपरांत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।
- उप प्राचार्य के 50 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-40/2025 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- निम्नवर्गीय लिपिक के 239 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन सं०-02/23 प्रकाशित किया गया है एवं 36 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित है।
- कार्यालय परिचारी/परिचारी विशिष्ट (कोटि IV, III, II, I) के रिक्त 203 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन सं०-06/25 प्रकाशित किया गया है।
- कुल 21 संस्थानों का निर्माण वर्ष 1960 से 1980 के दशक में किया गया है। वर्तमान में इन संस्थानों के पुराने भवन यथा- कर्मशाला, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, वर्गकक्ष आदि काफी जर्जर अवस्था में हैं।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मापदण्ड में बदलाव किया गया है। तदालोक में राज्य में निर्मित पुराने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण नए मापदण्ड के अनुरूप कराए जाने की आवश्यकता है।
- राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्मित कुल 41 छात्रावासों का संचालन कराया जाना है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकारी भवनों के रख-रखाव के निमित्त 'मेंटेनेंस पॉलिसी' के गठन कराए जाने का प्रस्ताव है।

निदेशालय नियोजन पक्ष के क्रियाकलाप

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर नियोजनालय एवं करियर सूचना केन्द्र स्थापित हैं। इनकी स्थापना राज्य के रोजगार इच्छुक युवाओं को रोजगार पाने में सहयोग देने के लिए की गयी है।

बिहार के सभी नियोजनालयों में रोजगार इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन निबंधन का कार्य भारत सरकार द्वारा विकसित 'National Career Service' (NCS) के पोर्टल www.ncs.gov.in पर किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31.12.2025 तक कुल 13,57,865 आवेदकों का निबंधन NCS पोर्टल पर किया गया है।

एन० सी० एस० पोर्टल द्वारा उपलब्ध नियोजन सेवाओं से राज्य के रोजगार इच्छुक युवा लाभान्वित हो रहे हैं। नियोजनालयों में स्थापित करियर सूचना केन्द्रों (C.I.C) में युवाओं एवं छात्रों के लिए रोजगारपरक साहित्य, प्रतियोगी सम-सामयिक पत्रिकाएँ, दैनिक समाचार पत्र एवं रोजगार समाचार उपलब्ध रहते हैं, जिससे नियोजनालय में आने वाले आवेदक लाभान्वित होते हैं।

निदेशालय नियोजन द्वारा संचालित योजनाएं :

(I) नियोजन सेवा का विस्तार :

इस स्कीम के अंतर्गत नियोजनालयों द्वारा प्रमुख ट्रेडों— Electrician, Fitter, Mobile Repair, Beautician, Plumber, Electronic Repair आदि में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी, जो नियोजनालय में निबंधित हों, को स्वरोजगार हेतु अधिकतम मूल्य ₹15,000/- (पंद्रह हजार) मात्र का 'टूल किट' निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। लाभुकों के चयन में कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक कुल 1163 लाभुकों को टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है।

(II) नियोजन सेवा हेतु ई-प्रोसेस :

नियोजन सेवा से संबंधित सभी कार्यों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में नियोजन सहायता रोजगार इच्छुक युवक/युवतियों के साथ-साथ नियोजकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, नियोजनालयों में पूर्व से अधिष्ठापित कम्प्यूटर सामग्री के लिए प्रिंटर कार्टिज, स्टेशनरी के क्रय/रख-रखाव एवं कार्यालयों के ई-ऑफिस के माध्यम से क्रियान्वयन पर व्यय किया जाता है। साथ ही रोजगार इच्छुक युवक/युवतियों को नियोजनालयों में ऑनलाइन निबंधन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह एक सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है।

(III) नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम :

इस स्कीम के अंतर्गत कुल 4 (चार) कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार हैं:-

(क) निजी क्षेत्र के रोजगार बाजार के बदलते नये आयामों एवं मांगों की अद्यतन जानकारी नियोजनालयों में आगंतुक आवेदकों को प्रदान करने एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से सभी नियोजन कार्यालयों/सी० आई० सी० के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹100.00 लाख स्वीकृत है। इस राशि से व्यावसायिक मार्गदर्शन देने संबंधी प्रतियोगी पत्रिकाएं एवं समाचार पत्रों का क्रय

किया जाता है। रोजगार पाने वाले इच्छुक आवेदक नियोजनालय के सी० आई०सी० में बैठकर निःशुल्क इसका लाभ उठाते हैं। इस कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) रोजगार हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए विश्वसनीय निजी क्षेत्र के नियोजकों के माध्यम से जिला स्तर पर 'जॉब कैम्प' का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹100.00 लाख मात्र की राशि स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक कुल 1152 जॉब कैंप के माध्यम से कुल 22,329 (बाईस हजार तीन सौ उनतीस) अभ्यर्थियों का निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर रोजगार हेतु चयन किया गया है। इस कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) इस स्कीम अंतर्गत नियोजनालयों द्वारा रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, जो नियोजनालय में निबंधित हों, को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने हेतु अधिकतम मूल्य ₹5,000/- (पाँच हजार) मात्र का 'स्टडी किट' निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,99,99,000/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) मात्र की राशि स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक कुल 3300 लाभुकों को स्टडी किट उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है।

(घ) नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी जिलों में नियोजनालयों के माध्यम से जिला स्तरीय/प्रमण्डल स्तर पर नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन दिनांक 01.04.2025 से प्रारंभ किया गया है। इस कार्य हेतु ₹250.00 लाख मात्र की राशि स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31.12.2025 तक आयोजित 39 नियोजन मेलों के माध्यम से 19,593 (उन्नीस हजार पाँच सौ तिरानवे) अभ्यर्थियों का निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर रोजगार हेतु चयन किया गया है। इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(IV) सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो : आर्थिक वैश्वीकरण के कारण नियोजन बाजार अन्तर्राष्ट्रीय हो चुका है। समुद्रपार नियोजन बाजार में रोजगार इच्छुक युवकों को अधिक से अधिक नियोजित करने के उद्देश्य से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में "बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो" की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों के लिए 'प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम' (PDOT) पाँच केन्द्रों यथा- पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया) में संचालित हैं। उक्त कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 38 श्रमिकों को PDOT (प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण) दिये जाने का कार्य किया गया है। इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(V) निःशक्तजनों के लिए नियोजन सहायता : इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यांग रोजगार इच्छुक के लिए कैम्प का आयोजन एवं 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995' के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु ₹30.00 लाख मात्र की राशि स्वीकृत है। इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(VI) संयुक्त श्रम भवन का निर्माण : भवन निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के वैसे जिले, जहाँ विभाग का अपना भवन नहीं है, वहाँ प्रमंडल स्तर पर G+2/G+3 एवं जिला स्तर पर G+1 टाइप के संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, डालमियानगर (रोहतास), नालंदा, बांका, सीतामढ़ी, बक्सर, सुपौल, किशनगंज, मुंगेर, पूर्णिया, भभुआ (कैमूर), कटिहार, नवादा, बेगूसराय, मोतिहारी, मधेपुरा, जमुई, अररिया एवं जहानाबाद सहित कुल 21 जिलों में संयुक्त श्रम भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष जिलों में संयुक्त श्रम भवन के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(VII) मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना : राज्य के नियोजनालयों में अपेक्षाकृत बड़े जिलों में शत-प्रतिशत केन्द्रांश मद में प्राप्त राशि से 'मॉडल करियर सेंटर' संचालित हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के 20 नियोजनालयों यथा- अवर प्रादेशिक नियोजनालय: मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया, डालमियानगर, दरभंगा तथा जिला नियोजनालय: बक्सर, मुंगेर, सुपौल, पूर्णिया, नालंदा, बांका, सीतामढ़ी, कटिहार, किशनगंज, भभुआ, मोतिहारी, नवादा, बेगूसराय एवं शिवहर में आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में नियोजन पक्ष के लिए संचालित कुल 08 योजनाओं का बजट उपबंध निम्न प्रकार प्रस्तावित है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	उपबंध (लाख में)
1	नियोजन सेवा का विस्तार	₹600.00
2	नियोजन सेवा हेतु ई० प्रोसेस	₹100.00
3	नियोजन-सह-मार्गदर्शन कार्यक्रम	₹800.00
4	सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	₹0.02
5	निःशक्त जनो के लिए नियोजन सहायता	₹49.96
6	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	₹1,950.00
7	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	₹0.01
8	राज्य के नियोनजालयों का जन निजी भागीदारी में संचालन	₹0.01
	कुल योग	**₹3,500.00**

बिहार कौशल विकास मिशन की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) की स्थापना वर्ष 2010 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सभी कौशल विकास कार्यक्रमों को गति एवं दिशा प्रदान करना है। वर्तमान में बिहार कौशल विकास मिशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

(I) बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया गया है, जैसे- विभिन्न लक्षित समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्षमतावर्धन, रोजगारोन्मुखी एवं पूर्व शिक्षा को मान्यता देने वाले कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई। आज इन कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक एवं आधुनिक/विकसित पाठ्यक्रमों में समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) इस सफर की शुरुआत दिसंबर 2016 में 48 केंद्रों से हुई थी, परंतु आज प्रशिक्षण को हर संभावित प्रशिक्षणार्थी के दरवाजे पर ले जाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश में 3000 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गयी है। इस सम्पूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र के नेटवर्क से यह सुनिश्चित किया गया है कि बिहार के सभी 534 प्रखण्डों में प्रशिक्षण हेतु कम से कम एक केंद्र अवश्य उपलब्ध हो। केन्द्रों का यह जाल उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में झारखंड राज्य की सीमा तक, तथा पूर्व में बंगाल की सीमा से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है।

(iii) हमारी इस कोशिश में हमने 27 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को अलग-अलग कार्यक्रमों में जोड़ा और इनमें से 30 लाख से अधिक युवाओं को अब तक प्रशिक्षित किया है।

(iv) इस क्रम में बिहार की बेटियों ने भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काफी उत्साह से बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। 'कुशल युवा कार्यक्रम', जो बिहार कौशल विकास मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसमें दिसंबर 2016 के प्रशिक्षण बैच में जहां महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात 20:80 था, वही अनुपात जनवरी 2026 के प्रशिक्षण बैच में 65:35 हो चुका है। यह इस बात का द्योतक है कि बिहार की महिलाओं में कौशल विकास हेतु एक सकारात्मक अवधारणा विकसित हुई है और वे बिहार की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण को एक सशक्त माध्यम के रूप में देख रही हैं।

(v) महिलाओं एवं युवतियों की अधिक भागीदारी के लिए भी बीएसडीएम द्वारा कई नवीन पहल किए जा रहे हैं, जैसे- विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत केवल 'महिला बैच' का संचालन। 'भर्ती प्रशिक्षण तैनाती' यानी आरटीडी (RTD) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट बैंगलोर में शाही एक्सपोर्ट्स एवं अरविंद मिल्स जैसी बड़ी कंपनियों में हुआ है। कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) में भी सिर्फ महिलाओं के लिए बैच का परिचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के लिए पटना नगर निगम के तत्त्वावधान में 'ई-कार्ट ड्राइविंग' जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया गया है।

(vi) मिशन द्वारा विभिन्न पारंपरिक क्षेत्रों जैसे- सूचना प्रावैधिकी, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल, विनिर्माण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में प्रशिक्षण कराने के साथ-साथ अन्य आधुनिक/उन्नत पाठ्यक्रमों यथा- ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, वेब डेवलपर, मल्टी स्किल टेक्निशियन जैसे कोर्स में भी बिहार के अन्य विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बिहार के युवा आज के आधुनिक औद्योगिक एवं रोजगार के बाजार में स्वयं को स्थापित कर अपने कैरियर में निरंतर आगे बढ़ते रहें।

(vii) मिशन द्वारा राज्य के प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्र 'कृषि एवं संबद्ध सेवा' में भी निरंतर प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें मशरूम उत्पादन जैसे विषयों पर राज्य के किसान एवं उद्यमियों को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़े जाने का प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप बिहार मशरूम उत्पादन में देश में पहले पायदान पर है।

(viii) साथ ही, मिशन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अनौपचारिक क्षेत्र यथा- स्ट्रीट फूड विक्रेता, टायर फिटर, स्ट्रीट वेंडर एवं चप्पल निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए भी कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और उनके कौशल की पहचान को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है।

(ix) हमारे प्रयासों की नवीनता एवं प्रतिबद्धता को विभिन्न मंचों पर प्रोत्साहित किया गया है। हमारे प्रमुख कार्यक्रम जैसे 'कुशल युवा कार्यक्रम' एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरटीडी को राष्ट्र स्तरीय 'SKOCH पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। हमारे कुशल युवा कार्यक्रम को नीति आयोग के सर्वोत्तम अभ्यास संकलन में भी शामिल किया गया है।

(x) मिशन द्वारा किए गए प्रयासों का ही यह परिणाम है कि बिहार राज्य के युवाओं ने कौशल प्रतियोगिता के ओलंपिक कहे जाने वाले आयोजन 'वर्ल्ड स्किल्स' प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया और प्रतियोगिता वर्ष 2024 में 3 स्वर्ण, 1 रजत एवं 3 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते। फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में बिहार से भी तीन प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें एक प्रतियोगी ने 'मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस' का पदक प्राप्त किया। इस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन मिशन द्वारा NSDC के सहयोग से किया जा रहा है जिसके लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है।

(xi) मिशन द्वारा दिनांक 10 से 15 जुलाई, 2025 को पटना के दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में 'मेगा जॉब फेयर' का आयोजन किया गया। यह राज्य में कौशल एवं रोजगार सशक्तिकरण को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल था, जिसमें लगभग 79 प्रतिष्ठित कंपनियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस रोजगार मेले में कुल 68,400 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जो राज्य के युवाओं की उच्च सहभागिता एवं रोजगार अवसरों के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। पंजीकृत आवेदकों में से 11,235 युवाओं का कंपनियों द्वारा साक्षात्कार किया गया, जिनमें से 3,991 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियोजन के लिए चयनित किया गया। इस रोजगार मेले से न केवल योग्य युवाओं को उद्योगों से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि राज्य में कौशल आधारित रोजगार पारितंत्र को सुदृढ़ करने और युवाओं को उद्योग अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने में सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही, कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे साझेदारों को भी सम्मानित किया गया एवं राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित नियोक्ताओं/संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा भी हस्तांतरित किया गया।

(xii) बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के प्रवासी श्रमिकों को परामर्श, दस्तावेजों से संबंधित सहायता, रोजगार संपर्क, वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता तथा नियोजन के पश्चात सहायता प्रदान करने हेतु राज्य में कुल 10 स्थानों यथा- पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में 'प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्र' (Migration Counselling cum Registration Centre-MCRC) की स्थापना की जा रही है। उक्त कार्य हेतु संस्था का चयन कर अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है एवं स्थापना प्रक्रियाधीन है। यह केन्द्र प्रवासी मजदूरों के मार्गदर्शन, आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान, काउंसलिंग तथा कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।

(xiii) बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कॉल सेंटर की स्थापना से आम जनमानस को विभागीय लाभकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने तथा किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायत दर्ज कराने में कोई कठिनाई नहीं होती है। साथ ही, कॉल सेंटर के प्रभावी क्रियान्वयन से आम लोगों की सुलभता बढ़ती है एवं 'Ease of Living' पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य के युवाओं के लिये संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) :

राज्य सरकार की योजना 'सात निश्चय' के अधीन 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम की परिकल्पना की गई, जिसमें राज्य के 10वीं पास युवा जिनकी आयु 15-28 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 33 वर्ष, दिव्यांग 33 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 31 वर्ष) है, को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से 240 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अब तक कुल नामांकन 32,21,397, प्रशिक्षण 24,69,121 एवं प्रमाणीकरण 24,39,412 है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,08,141 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण एवं 1,95,812 अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण हुआ है।

2. भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (Recruit Train Deploy - RTD Scheme) :

बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल के अन्तर्गत भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (RTD) योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 15 से 45 वर्ष आयु के अभ्यर्थी को उद्योगों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार बनाए गए प्रशिक्षण मापदण्डों के आधार पर प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के इस नूतन पहल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती योजनान्तर्गत कुल 17,719 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है जिसमें कुल 9,170 प्रमाणित एवं 4,207 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,861 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है जिसमें कुल 927 प्रमाणित एवं 142 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

3. डोमेन स्किलिंग (Domain Skilling) :

राज्य के युवा जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष है एवं पाठ्यक्रम की आवश्यकता या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करते हैं, उनके लिये डोमेन स्किलिंग योजनान्तर्गत 16 विभागों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसका समन्वय बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में उनकी पेशेवर स्थिति में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस योजनान्तर्गत अब तक 6.48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें 5.42 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रमाणित एवं 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 24,032 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, 21,926 का प्रमाणीकरण एवं 12,938 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

4. बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फायनेंशियल एकाउंटिंग (BS-CFA) :

राज्य के मझौले एवं लघु उद्योगों को लेखा संधारण तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) फाइलिंग करने में सहयोग प्रदान करने एवं इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को देखते हुए बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 'बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फायनेंशियल एकाउंटिंग' (BS-CFA) कोर्स की परिकल्पना की गई, जिसमें 17 से 45 वर्ष के 12वीं पास युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बीएससीएफए योजनान्तर्गत कुल 22,019 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराया गया है जिसमें कुल 21,764 अभ्यर्थी प्रमाणित भी हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कराया गया है जिसमें कुल 2,751 अभ्यर्थी प्रमाणित भी हो चुके हैं।

5. रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) :

देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल अहर्ता फ्रेमवर्क (NSQF) में संयोजित करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 59 वर्ष के युवा जो संबंधित पाठ्यक्रम के लिए 'सेक्टर स्किल काउंसिल' द्वारा

परिभाषित प्री-स्क्रीनिंग मानदंडों को पूरा करते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आर०पी०एल० के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्वार्जित ज्ञान एवं कौशल को मान्यता प्रदान किया जाता है। आर०पी०एल० योजनान्तर्गत अब तक कुल 39,370 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है एवं कुल 27,619 अभ्यर्थी प्रमाणित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 11,695 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है एवं कुल 9,781 अभ्यर्थी प्रमाणित हो चुके हैं।

6. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM-Pratigya) :

'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना' बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता और करियर संवर्धन हेतु 3 से 12 माह की उद्योग आधारित इंटर्नशिप प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजनान्तर्गत 18 से 28 वर्ष आयु के वे युवा, जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त/प्रमाणित हों या न्यूनतम 12वीं, आई०टी०आई०, डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर योग्य हों, पात्र होंगे। इस इंटर्नशिप योजना के माध्यम से युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कराकर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

कुल पंजीकृत युवाओं की संख्या	2,24,735
कुल अनुमोदित प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमोदित-94, अनुमोदन की प्रक्रिया में-01
कुल शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की संख्या	14,179
कुल उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों की संख्या	12,257

7. मेगा स्किल सेंटर (Mega Skill) :

राज्य के युवाओं एवं जन सामान्य को बेहतर भविष्य की दिशा में कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसरों को समझने में मदद एवं उनको मिलने वाले अवसरों की दिशा में मार्गदर्शन करने, साथ ही युवाओं को अच्छे कौशल एवं नौकरी के अवसर प्रदान करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 'सात निश्चय पार्ट-2' के तहत हर जिले में "मेगा स्किल सेंटर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)" स्कीम के अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में सभी 09 प्रमंडलीय जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इन केंद्रों को क्षेत्रीय कौशल विकास के केंद्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

8. विदेशी भाषा प्रशिक्षण (Foreign Language) :

विदेशों में भारतीय कुशल कामगारों की बढ़ती मांग की आपूर्ति हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न विदेशी भाषाएँ जैसे कि English, German, Japanese, Korean और Arabic आदि में प्रशिक्षण कार्य संपादित किये जाने हेतु संस्था का चयन कर प्रशिक्षण का कार्य दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में दिनांक 17.12.2025 से संचालित किया जा रहा है, जिसमें 160 युवा प्रशिक्षणरत हैं।

9. भावी कार्य योजना :

बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल मानक एवं मूल्यांकन परिषद' (NCVET) से 'असेसमेंट एवं अवार्डिंग बॉडी' के रूप में दोहरी मान्यता (Dual Accreditation) प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

मिशन 1 (एक) करोड़ रोजगार :-

मिशन 1 (एक) करोड़ रोजगार: 2025-30 में बिहार के युवाओं के लिए नए अवसर :

बिहार सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच प्रदेश के युवाओं के लिए 1 (एक) करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसरों का सृजन करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह संकल्प न केवल बेरोजगारी दर को कम करने के लिए है, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को 'उपभोक्ता राज्य' से 'उत्पादक राज्य' में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा :

- इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसे मुख्य रूप से चार स्तंभों पर खड़ा किया गया है:
- सरकारी और विभागीय रिक्तियां सरकार का प्राथमिक जोर प्रशासनिक विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने पर है। नियमित बहाली प्रक्रियाओं में तेजी लाकर युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी देने का रोडमैप तैयार किया गया है।
- उद्यमिता और स्वरोजगार (MSME प्रोत्साहन) केवल सरकारी नौकरियों से यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए 'स्वरोजगार' पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को आकर्षित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने की योजना है।
- कौशल विकास (Skill Development) रोजगार पाने योग्य युवा तैयार करने के लिए 'बिहार कौशल विकास मिशन' को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। युवाओं को आधुनिक तकनीकों (IT, मैन्युफैक्चरिंग) में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे न केवल बिहार बल्कि देश-विदेश में भी रोजगार पा सकें।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

युवाओं को तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा देने के साथ-साथ
सरकार उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु
कृतसंकल्पित है।

"सपना आपका, संकल्प हमारा"

***

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), गोपालगंज का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), वैशाली का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), वैशाली का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), वैशाली के परिसर में पौधरोपण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), वैशाली का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), गोपालगंज का उद्घाटन एवं निरीक्षण करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), गोपालगंज

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), गुलजारबाग, पटना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०), वैशाली

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार

नियोजन भवन, बेली रोड,

इनकम टैक्स गोलंबर के पास, पटना - 800001 (बिहार)

#ADV Creation : +91 9473383004